

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

मान्दे ३७-१६/२०१८/२०-३

भोपाल, दिनांक १०.०१.२०१९

प्रति,

१. कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक,
समस्त जिले (म.प्र.)।
२. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, समस्त जिले (म.प्र.)।

विषय :- शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सुरक्षा हेतु सावधानियों के संबंध में दिशा निर्देश।
संदर्भ:- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मेन्युअल तथा राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्रमांक
राशिक/निर्माण ०१/२०१७/५५८८ दिनांक ०२.०८.२०१७

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शालाओं की सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण के संबंध में मेन्युअल विकसित किया है। मेन्युअल अनुसार शिक्षक एवं छात्र शाला में महत्वपूर्ण समय व्यतीत करते हैं। इस हेतु शाला का वातावरण जिसमें भवन, परिसर प्रवेश एवं आस-पास आदि अद्योसंरचनाएँ सुदृढ़ एवं सुरक्षित रहें, जिस कारण प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित दुर्घटनाएँ घटित न हों।

अ- अद्योसंरचना एवं निर्माण कार्य संबंधी सुरक्षा एवं सावधानी:-

१. शाला भवन :- शाला भवन में छात्रों की सुरक्षा के संबंध में निम्न सुझाव है:-
- (i) दीवारों की चुनाई ईंट/खण्डा पथर की, आर.सी.सी. का छत होना चाहिए। शाला की छत में ज्वलनशील रोधी सामग्री का उपयोग करना है।
 - (ii) नर्सरी एवं प्राथमिक स्तर की कक्षाएँ भू-तल पर लगनी चाहिए एवं शाला का भवन अधिकतम तीन मंजिल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - (iii) निर्मित शाला भवन के प्रत्येक कक्ष में कम से कम दो दरवाजे होना चाहिए।
 - (iv) मुख्य शाला भवन से किचिन शेड को दूर निर्मित किया जाए ताकि अग्नि संबंधित दुर्घटना से छात्र सुरक्षित रहें।
 - (v) पानी के स्टोरेज टैंक को ढंक कर रखा जावे तथा अंतिम सफाई दिनांक लिखी जावे।
२. क्लासरूम:- क्लासरूम को नियमित अंतराल से सफेद पुतवाना, खिड़कियों के गिलास टूटे-फूटे न होना, कक्ष में पर्याप्त रोशनी होना, फर्श क्रेक आदि की स्थिति में नियमित अंतराल से मरम्मत करवाना।
३. किचिन शेड:- किचिन के फर्श को नियमित रूप से कीटाणु रोधी तरल को पानी में मिलाकर साफ करना। खिड़की एवं दरवाजे में मच्छर रोधी जाली का उपयोग करना। खाना बनाने में पीने योग्य पानी का उपयोग करना। सभी बर्तन साफ एवं सूखे रखे ताकि किचिन में कीटाणु/फंगस आदि उत्पन्न न हो। किचिन के पास शौचालय, गंडे पानी की नाली नहीं होना चाहिए।
४. विद्युत संबंधित सुरक्षा:- विद्युत वौयर, पाईन्ट आदि खुले अथवा लूज होने पर उनको तुरंत ठीक करवाये एवं ठीक होने तक वहाँ कि विद्युत लाईन बंद रखे। विद्युत घटना के लिए शाला के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी। वृक्ष पौधों की डालिया एलटी लाईन से टच होने के पूर्व उनकी कॉट-चॉट समय-समय पर करवाते रहें। छात्र विद्युत पोल को न छुए इस हेतु आवश्यक कदम उठाये।
५. अग्नि संबंधित दुर्घटना:- प्रथम तल या ऊपर मंजिल वाली शालाओं में अग्नि शमन यंत्रों का मॉक हिल एवं प्रशिक्षण समय-समय पर करवाते रहें। अग्नि संबंधित दुर्घटना होने पर तुरंत छात्रों को सुरक्षित बाहर निकलवाये। शाला के अंदर ज्वलनशील पदार्थ न रखे जाए।
६. भूकम्प:- भूकम्प संभावित क्षेत्र में शाला भवन को भूकम्प रोधी तकनीकी से निर्माण कराया जाए एवं पूर्व निर्मित अद्योसंरचना में आवश्यक सुधार करवाये जाएं। स्कूल प्रबंधन स्थानीय डिसास्टर मैनेजमेंट समिति से समय-समय पर प्रशिक्षण एवं स्कूल से संबंधित आपातकालीन कदम उठाने हेतु सहायता प्राप्त करें।
७. खेल का मैदान:- प्रत्येक स्कूल में विकसित खेल का मैदान रहें। छात्रों को खेलने के लिए खेल-कूद की सामग्री, उपकरण एवं आवश्यक फस्ट एड बॉक्स की उपलब्धता की व्यवस्था रहें।

निरन्तर.. 2

8. बाउण्ड्रीवाल:—प्रत्येक स्कूल परिसर बाउण्ड्रीवाल/फैसिंग से सुरक्षित होना चाहिए। बाउण्ड्रीवाल में मेन गेट के अलावा छात्रों की सुविधा की दृष्टि से अन्य गेट भी रखे। छात्रों का शाला में प्रवेश होने के पश्चात मेन गेट का ताला लगाकर रखे एवं आगन्तुकों (पालक/अन्य व्यक्ति) के प्रवेश हेतु छोटे गेट को खुला रखे। आगन्तुकों को प्रवेश पहचान पत्र देख कर दिया जाए एवं उनके वाहन का स्कूल परिसर में प्रवेश वर्जित रखा जाए।

9. स्कूल परिसर:— यथा संभव शाला परिसर रेलवे ट्रेक से दूर होना चाहिए। यदि फिर भी शाला रेलवे ट्रेक के समीप स्थित है तो समय—समय पर स्ट्रेक्चरल सेपटी का ध्यान रखे। शाला इंडस्ट्री अथवा रासायनिक फेकट्री से दूर सुरक्षित पर्यावरण में होना चाहिए। शाला के आस—पास शालाब, अफीम/भांग आदि की दुकान नहीं होना चाहिए।

10. बाधा रहित पहुँच:— दिव्यांग बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए शाला भवन, कक्षा, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, केंटीन, आडिटोरियम हाल, एक तल से दूसरे तल तक पहुँच हेतु रेम्प का निर्माण दोनों रेलिंग के सहित होना चाहिए ताकि छात्र सुरक्षित एवं स्वतंत्र तरीके से आवागमन कर सके।

11. पानी और बहते पानी से बच्चों की सुरक्षा:— परिसर में स्थित कुआ, तालाब को सुरक्षा दीवार अथवा लोहे की जाली से बंद रखा जाए एवं बच्चों को वहाँ जाने से रोका जाए। नदी, नहर, तालाब, पानी की टंकी आदि में स्नान करने से रोका जाए। शाला संचालन के समय बच्चों को शाला परिसर से बाहर न जाने दिया जाए। धार्मिक उत्सव के समय या अन्य मौकों पर बच्चों को नदी, तालाब अथवा कुँए में मूर्ति विर्सजन में न जाने दिया जाए।

12. निर्माण के समय संभावित दुर्घटना से बचाव:— निर्माण स्थल पर बेरीकेड और साईन बोर्ड लगाकर बच्चों के आवागमन को रोका जाए। पानी के संधारण हेतु उपयोग होने वाली टंकी को बंद रखा जाए ताकि संभावित दुर्घटना को रोका जाए।

13. शाला में आवागमन हेतु सुरक्षा:— आवागमन हेतु उपयोग किए जाने वाली बस/टेक्सी पीले कलर से पैट, दोनों और काले रंग से स्कूल का नाम, "स्कूल बस" एवं संबंधित सम्पर्क व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। शाला बस में अग्नि शमन यत्र, 40 किलोमीटर प्रतिघण्टा की गति सीमा वाला यंत्र लगा होना चाहिए। स्कूल बस में बच्चों की सुरक्षा के लिए योग्य सहायक (महिलाओं को प्राथमिकता) की लगा होना चाहिए। स्कूल बस में बच्चों की सुरक्षा के लिए योग्य सहायक (महिलाओं को प्राथमिकता) की व्यवस्था की जाए। वाहन चालक वैद्य लाइसेंसधारी एवं भारी वाहन चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखता हो बस स्टाफ की नियुक्ति से पूर्व पुलिस से वेरिफिकेशन कराया जाए। वाहन चालक का प्रतिवर्ष शारीरिक परिक्षण विशेषकर आखों की जांच कराई जाए। किसी अनुभवी स्टाफ सदस्य को वाहन व्यवस्था हेतु समन्वयक बनाया जाए। स्कूल बस में फर्स्टएड बाक्स एवं आपातकालीन स्थिति हेतु अलर्ट अलार्म होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिनका क्रियान्वन सुनिश्चित किया जावे।

14. शाला परिसर हेतु सुरक्षा:— शाला परिसर में त्यौहार/उत्सव आयोजन के समय बच्चों की सुरक्षा हेतु शाला में अनुशासन का पर्याप्त ध्यान रखा जाए। संवेदनशील एवं खतरनाक क्षेत्रों में बच्चों के आवगमन को प्रतिबंधित रखा जाए एवं किसी भी तरह के जलसे/जुलुस आदि शाला परिसर के आसपास से निकलने की अनुमति न दी जाए। किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के पूर्व संस्था प्रमुख सभी अधिनस्थों को बच्चों की सुरक्षा के संबंध में जागरूक करें।

15. अनापत्ति प्रमाण—पत्र:— शाला संचालन के लिए नियमानुसार वैद्य आवश्यक अनापत्ति प्रमाण—पत्र इत्यादि प्राप्त होना चाहिए।

(ब) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिक्षा संबंधी आवश्यक बिन्दुः— स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय मार्गदर्शिका अनुसार शालाओं में विद्यार्थियों हेतु दी गयी मुख्य अनुशंसाओं की पूर्ति की जावे।

1. पेयजल:— शाला परिसर में सुरक्षित एवं पर्याप्त पानी की व्यवस्था रखी जाए। पेयजल को सुरक्षित स्वच्छ पात्र में संधारित कर बच्चों की पहुँच में शाला परिसर में रखा जावे। पानी को अनिवार्यता छानकर उपयोग किया जावे। पेयजल स्त्रोत शौचालय के लिंचिपिट/सोकपिट से 10 मीटर की न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए। पानी की सुरक्षा/गुणवत्ता को समय—समय पर जांच कराई जाए।

2. शौचालयः— बालक एवं बालिकाओं के लिये पृथक—पृथक शौचालय स्कूल परिसर में होना चाहिए। शौचालय इकाई की संख्या छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुपात में सुनिश्चित करें। शौचालय में रनिंग वाटर की सुविधा, साबुन, वाश वेसिन, दरवाजा, दिव्यांग छात्रों हेतु अनुकूल तथा सुरक्षा एवं निजता को ध्यान में रखा जाए। शौचालयों की नियमित साफ—सफाई रखी जाए। माध्यमिक शालाओं में बालिका शौचालयों में आवश्यक रूप से इन्सीनेटर की व्यवस्था होना चाहिए तथा सेनेटरी नेपकिन के निस्तारण हेतु ढक्कन वाला डस्टबीन आवश्यक रूप से रखा जावें। शौचालय इकाई में पर्याप्त रोशनी एवं हवा की व्यवस्था आवश्यक है। स्वच्छता के संदेश शौचालय इकाई की दीवारों पर अवश्य रूप से होना चाहिए।

3. साबुन से हाथ धुलाईः— मध्यान्ह भोजन के पूर्व सभी बच्चों ने आवश्यक रूप से साबुन से हाथ धोने के पश्चात् ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। शाला में साबुन से हाथ धुलाई इकाई की व्यवस्था तथा पानी एवं साबुन की सुलभता आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावें। अकादमिक कैलेण्डर में इस हेतु भोजन के पूर्व 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। हाथ धुलाई इकाई की उँचाई बच्चों की पहुँच में हो एवं उसका रखरखाव नियमित रूप से कर उसे उपयोग हेतु बनाये रखें। मध्यान्ह भोजन इकाई से निकला हुआ अपशिष्ट जल का निपटान सोकपिट/गार्डन में अवश्य रूप से किया जावें। साबुन से हाथ धुलाई की आदत बच्चों में विकसित करने हेतु नियमित रूप से सत्र लिये जावें।

4. स्वच्छता सुविधाओं का रखरखाव (O&M):— शाला में उपलब्ध सभी स्वच्छता सुविधाओं का नियमित रूप से सफाई एवं रखरखाव किया जाना चाहिए ताकि स्वच्छता सुविधाएं उपयोग योग्य बने रहा तथा शाला विद्यार्थी इनका उपयोग कर स्वच्छता के व्यवहारों को सीखकर दैनिक जीवन में अपना सकें। शाला में उपलब्ध भवन रखरखाव निधि एवं शाला ग्रांट का उपयोग करते हुये स्वच्छता सुविधाओं का रखरखाव सुनिश्चित करें। स्वच्छता सुविधाओं के सुचारू संचालन का मॉनिटरिंग चाइल्ड केबिनेट एवं शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से किया जावें।

5. स्वच्छता के व्यवहारों की गतिविधियाँः— शाला विद्यार्थियों द्वारा शाला में स्वच्छता के व्यवहार को सीखकर उसे दैनिक जीवन में अपनाने हेतु नियमित रूप से स्वच्छता के सत्र लिये जावें जिसमें व्यवितरण स्वच्छता, साबुन से हाथ धुलाई, स्वच्छता सुविधाओं का सही तरह से उपयोग कर उसे उपयोग योग्य बनाये रखने की जानकारी तथा किशोरी बालिकाओं हेतु माहवारी स्वच्छता की आवश्यक जानकारी नियमित रूप से दी जावें।

6. स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियाँः— शाला में फर्स्ट—एड बाक्स उपलब्ध हो। बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परिक्षण कराया जाए, आवश्यक होने पर विशेषज्ञ से परामर्श भी बच्चों/अभिभावक को उपलब्ध कराया जाए। आवश्यकता अनुसार बच्चों के टीकाकरण का प्रबंधन कराया जाए।

7. मध्यान्ह भोजनः— मध्यान्ह भोजन हेतु प्रयुक्त खाद्य समाग्री पौष्टिक हो व उसकी गुणवत्ता एवं खाना बनाने हेतु बर्तनों की स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। भोजन वितरण से पूर्व शिक्षक/शाला प्रबंधन समिति के सदस्य द्वारा भोजन को चख कर जॉच करने के उपरांत ही बच्चों को परोसा जाए। प्रत्येक दिवस बच्चों को वितरित भोजन के सेम्पल को 24 घंटे सुरक्षित रखा जाए।

8. व्यसन मुक्ति संबंधी कार्यक्रमों का संचालनः— शालाओं में तंबाकू, एल्कोहल और अन्य नशीले पदार्थों (ड्रग्स) के दुष्परिणाम से छात्रों को अवगत कराने हेतु विभिन्न गतिविधियाँ यथा नाटक, वाद—विवाद, निबंध प्रतियोगिता आदि आयोजित की जाए। इससे संबंधित पत्र पत्रिकाएं शाला में उपलब्ध होना चाहिए। शिक्षकों एवं पालकों का इस संबंध में जागरूक किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया जाए।

(स) मनोसामाजिक कियाएँः— शालाओं में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु भय मुक्त वातावरण रखा जाए। इसके लिए बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक प्रताङ्गन से मुक्त रखा जाए। शाला का वातावरण शांतिपूर्ण हो, किसी तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए। बच्चों के मध्य जाति, व्यवसाय, लिंग, पारिवारिक आय आदि किसी भी कारण से भेदभाव न किया जाए। बच्चों को किसी भी तरह से डराने धमकाने (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष/अफवाहों के जरिए) या छेड़छाड़ की जाँच होना चाहिए एवं ऐसा पाया जाने पर दोषियों को कठोर दंड दिया जाए। बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए शिक्षकों का उन्मुखीकरण किया जाए व बच्चों की समय—समय पर काउंसिलिंग की जाए।

(द) बच्चों की सुरक्षा हेतु शिक्षकों के दायित्वः— बच्चों की सुरक्षा हेतु विद्यालयीन स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालय एवं उसका स्टाफ बच्चों के लिए वृहद सुरक्षा तंत्र निर्मित करते हैं। अतः स्कूलों को बच्चों की सामाजिक सुरक्षा हेतु पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं एवं बच्चों के उन्नयन की अन्य योजनाओं से समन्वय बनाकर कार्य करना चाहिए।

शिक्षकों का बच्चों के साथ मित्रवत् व्यवहार होना चाहिए। स्कूल के प्राचार्य एवं हेड शिक्षक को शाला परिसर में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था के सभी उपायों की जाँच कराना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा में शिक्षकों की अतिमहत्वपूर्ण भूमिका है अतः इस संबंध में शिक्षकों का समय—समय पर प्रशिक्षण एवं उन्नुखीकरण कराया जाए।

(इ) शाला निरीक्षणः— उपरोक्त सभी बिंदुओं पर जिले एवं विकासखंड स्तर से निर्धारित समय पर शालाओं का निरीक्षण कराया जाए। शाला प्रबंधन समिति एवं पालक शिक्षक संघ द्वारा भी उक्त संबंध में मानिटरिंग कीजाए। प्रत्येक स्कूल में बच्चों का एक दल भी सुरक्षा व्यवस्था की जाँच हेतु गठित किया जाए।

शालाओं में आपदा प्रबंधन का चिन्हांकन कर लिया जावे तथा RIP (Risk Informed programming) के अन्तर्गत चिन्हांकित आपदाओं को नियोजित कर शिक्षक, विद्यार्थियों, बाल संसद एवं शाला प्रबंधन समिति को प्रशिक्षित किया जावे।

उक्त के अलावा विस्तृत जानकारी हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मेन्यूअल <http://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&&sublinkid=1397&lid=1550> लिंक पर उपलब्ध है। कृपया उपरोक्तानुसार जिले में सभी शालाओं में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं आवश्यक सावधानियों का पालन सुनिश्चित करवायें।

सहपत्र— उपरोक्तानुसार।

(श्रीमत जैन)
सचिव

स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 शासन

भोपाल, दिनांक 10.01.2019

५० प्रांक-सं 37-16/2018/20-3

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, आदिवासी विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. संचालक राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. राज्य समन्वयक मध्यान्ह भोजन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 शासन